कार्यालयः जिला विद्यालय निरीक्षक अलीगढ़

पत्रांकः 7517-22 /2021–22 दिनांकः 27-08-2021

समस्त प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या / प्रधानाध्यापक
राजकीय /अशासकीय सहायता प्राप्त /वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालय
जनपद–अलीगढ़

विषयः **कोविड–19 के परिपेक्ष्य में प्रदेश में संचालित समस्त आवासीय विद्यालयों हेतु एस0ओ0पी0 तथा कक्षा–6 से 8 तक समस्त विद्यालयों को खोले जाने के सम्बन्ध में।**

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1705/15–7–2021–1(52)/2021 दिनांकः 21.8.2021 का संदर्भ ग्रहण करें, जो कोविड–19 के परिपेक्ष्य में प्रदेश में संचालित समस्त आवासीय विद्यालयों हेतु एस0ओ0पी0 तथा कक्षा–6 से 8 तक समस्त विद्यालयों को खोले जाने के सम्बन्ध में है। उक्त शासनादेश में छात्र हित, सत्र को नियमित करने एवं छात्रों को शिक्षण कार्य सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा सम्यक विचारोपरानत प्रदेश में संचाति माध्यमिक शिक्षा विभाग के कक्षा–6 से 8 तक के समस्त विद्यालयों में पठन–पाठन भौतिक रूप से प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश प्रदान किये गये है।

उक्त शासनादेश दिनांकः 21.8.2021 की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि आप उक्त शासनादेश में प्रदत्त निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्नक– उक्तवत्

27/08/21

जिला विद्यालय निरीक्षक,
अलीगढ़

पृ0सं0 तथा दिनांक यथोपरि

प्रतिलिपि– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. जिलाधिकारी, अलीगढ़
02. मुख्य विकास अधिकारी, अलीगढ़
03. शिक्षा निदेशक (मा0) उ0प्र0 लखनऊ।
04. सचिव,माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।
05. संयुक्त शिक्षा निदेशक अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़

जिला विद्यालय निरीक्षक,
अलीगढ़

संख्या-1705/15-7-2021-1(52)/2021

प्रेषक,

आराधना शुक्ला,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2- शिक्षा निदेशक(मा0),
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

3- सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

4- समस्त संयुक्त शिक्षा निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।

5- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7

लखनऊः दिनांक 21 अगस्त, 2021

विषयः- कोविड-19 के परिपेक्ष्य में प्रदेश में संचालित समस्त आवासीय विद्यालयों हेतु एस0ओ0पी0 तथा कक्षा-6 से 8 तक के समस्त विद्यालयों को खोले जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या-195/एक-11-2020, दिनांक 24-03-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 सपठित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा-2(जी) के अंतर्गत कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया गया है।

2- शासनादेश संख्या-1467/15-7-2021-1(52)/2021, दिनांक 02.08.2021 द्वारा कोविड-19 के परिपेक्ष्य में प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डों के कक्षा-9 से 12 तक के विद्यालयों को पठन-पाठन हेतु दिनांक 16.08.2021 से भौतिक रूप से खोले जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे।

3- बेसिक शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या-1209/68-5-2021, दिनांक 18.08.2021 द्वारा प्रदेश में संचालित कक्षा-6 से 8 तक के समस्त विद्यालयों में दिनांक 23.08.2021 से पठन-पाठन भौतिक रूप से प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है। तत्क्रम में कोविड-19 के कारण बन्द कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों को पठन-पाठन हेतु महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 18.08.2021 द्वारा निर्गत एस0ओ0पी0 के साथ खोले जाने के आदेश दिये गये हैं।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि छात्र हित, सत्र को नियमित करने एवं छात्रों को शिक्षण कार्य सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश में संचालित माध्यमिक शिक्षा विभाग के कक्षा-6 से 8 तक के समस्त विद्यालयों में पठन-पाठन भौतिक रूप से प्रारम्भ किये जाने के संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या-1209/68-5-2021, दिनांक 18.08.2021 द्वारा दिये गये निर्देश यथावत लागू करने तथा प्रदेश में संचालित समस्त आवासीय विद्यालयों को कोविड-19

प्रोटोकाल का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निम्नलिखित एस0ओ0पी0 के अन्तर्गत पठन-पाठन प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

1. प्रत्येक आवासीय विद्यालय में विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक आयोजित की जाय, जिसमें विद्यालयों के संचालन तथा पठन-पाठन के सम्बन्ध में व्यापक विचार-विमर्श करते हुए अभिभावकों को बच्चों को विद्यालय में भेजने हेतु प्रेरित किया जाय। बैठक में कॉविड-19 के रोकथाम एवं बचाव के लिए गठित निगरानी समिति के सदस्यों को भी आमन्त्रित किया जायेगा।

2. विद्यालय कैम्पस भवन एवं सभी कक्षाओं के फर्नीचर उपकरण स्टेशनरी भंडारकक्ष, पानी टंकी, किचेन, वाशरूम, प्रयोगशाला, लाईब्रेरी आदि की सफाई एवं विसंक्रमित कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. विद्यालय में हाथ धोने की समुचित सुविधा क्रियाशील की जायेगी।

4. कोविड-19 महामारी के रोकथाम के लिए गठित निगरानी समितियां, जिनके पास डिजिटल थर्मल स्कैनर, ऑक्सीमीटर उपलब्ध हैं, से प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा समन्वय स्थापित करते हुए विद्यालय में यथावश्यक उपलब्धता करायी जायेगी।

5. विद्यालय के लिए परिवहन व्यवस्था आरम्भ किए जाने को पूर्व वाहनों का सेनेटाइजेशन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. प्रधानाध्यापक द्वारा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सीय स्टॉफ से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक मेडिकल सपोर्ट सुनिश्चित किया जायेगा।

7. विद्यालय स्तर पर आपातकालीन स्थिति में त्वरित कार्यवाही के लिए शिक्षकों, छात्र छात्राओं के अभिभावकों तथा विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों को सम्मिलित करते हुए कोविड टास्क फोर्स गठित किया जायेगा।

8. विद्यालय के समस्त शैक्षिक शिक्षणेतर रसोईया, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एक छात्र छात्राओं अभिभावको का शतप्रतिशत टीकाकरण प्राथमिकता के आधार पर कराया जायेगा।

9. विद्यालय जिनकी छात्र संख्या अधिक है, में पठन-पाठन भौतिक रूप से कराने सम्बन्ध प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा स्थानीय परिस्थिति एवं उपलब्ध भवन व अन्य संसाधनों के दृष्टिगत विद्यालयवार योजना तैयार कर जिला विद्यालय निरीक्षक के अनुमोदनोपरान्त विद्यालय का संचालन दो पालियों में शासनादेश दिनांक 02-08-2021 में निर्धारित अवधि के अनुसार संचालित किया जायेगा।

10. सोशल एवं फिजिकल डिस्टेन्सिग का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विद्यालय का संचालन किया जायगा।

11. समस्त शिक्षकों, छात्र छात्राओं एवं कर्मचारियों को विद्यालय अवधि में मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

12. समस्त शिक्षक/कर्मचारी एवं छात्र-छात्राएं हाथ धोकर तथा सेनेटाइज करके ही विद्यालय में प्रवेश करेंगे।

13. गाईड लाईन के अनुसार छात्र-छात्राओं के बीच कम से कम 06 फीट की दूरी के साथ बैठने की व्यवस्था की जायेगी यदि विद्यालय में एक सीट का बेंच-डेस्क हो तो इसे भी 06 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था की जायेगी।

14. इसी प्रकार शिक्षक के स्टाफ रूम/कार्यालय/आगत कक्ष में भी 06 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था चिन्हित की जायेगी।

15. विद्यालय के प्रवेश एवं निकास द्वार को भी विभिन्न कक्षाओं के अनुसार क्रमवार समय आवंटित करते हुये आने जाने के लिये चिन्हित किया जायेगा।

16. विद्यालय के सभी गेट को आगमन एवं प्रस्थान के समय खुला रखा जाय ताकि एक जगह भीड़ एकत्रित न हो सके।

17. जहाँ सम्भव हो पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग अभिभावक/विद्यार्थी के लिए किया जाय।

18. विद्यालयों के वर्गकक्ष/बाहरी नोटिस बोर्ड/दिवाल आदि पर सामाजिक दूरी का पालन करने/मास्क लगाने/सेनेटाइजेशन/हाथ सफाई/यत्र-तत्र थूकने से प्रतिबंध के संबंध में मुद्रित पोस्टर का प्रदर्शन किया जाय।

19. विभिन्न स्थलों यथा-आगंतुक कक्ष/हाथ सफाई स्थल/पेयजल केन्द्र/टॉयलेट के बाहर जमीन पर वृत्ताकार चिन्ह 06 फीट की दूरी पर निशान बनाया जायेगा।

20. विद्यालय में किसी प्रकार का आयोजन जहां भौतिक दूरी का पालन करना संभव न हो सके नहीं किया जायेगा। समारोह/त्योहार आदि के आयोजन से विद्यालय को बचना चाहिए।

21. विद्यालय में प्रार्थना सभा अलग-अलग कक्षाओं में किया जा सकता है जिसमें भौतिक दूरी का पालन किया जा सके।

22. कक्षा में नए नामांकन के समय केवल अभिभावक को ही आमंत्रित किया जाय, बच्चों को अभिभावक के साथ आने से मुक्त रखा जायेगा।

23. छात्र/छात्राओं के विद्यालय उपस्थिति के पूर्व माता-पिता/अभिभावक से अनिवार्य रूप से सहमति ले ली जाय।

24. यदि विद्यार्थी परिवार की सहमति से घर से ही अध्ययन करना चाहते है तो उन्हें अनुमति दी जाये। ऐस सभी विद्यार्थियों के अध्ययन संबंधी प्रगति का योजनाबद्ध तरीके से अनुश्रवण की व्यवस्था होनी चाहिए।

25. विद्यालय या उसके नजदीक स्थल पर स्वास्थ्य कर्मी/नर्स/डॉक्टर/कॉउन्सलर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय जो छात्रों के शारीरिक एव मानसिक स्थिति की जांच हेतु उपलब्ध हो सके।

26. विद्यालय के शिक्षक एवं छात्रों के नियमित स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की जायेगी। इस हेतु कोविड-19 के रोकथाम एवं उपचार हेतु गठित निगरानी समिति से समन्वय स्थापित किया जायेगा।

27. यदि विद्यालय में छात्र शिक्षक व अन्य स्टॉफ कोरोना पॉजिटीव पाया जाता है तो उसे तत्काल आइसोलेट करते हुए गाईड लाइन एवं प्रोटोकॉल के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाय। प्रधानाध्यापक द्वारा बच्चे के अभिभावक तथा निकटस्थ चिकित्सालय को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा डाक्टर के परामर्श के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

28. कोविड-19 के रोकथाम एवं उपचार से सम्बन्धित सभी हेल्पलाइन नम्बर विद्यालय प्रबंध समिति एवं शिक्षकों के पास उपलब्ध रहेगी जिससे आवश्यकता की स्थिति में तत्काल कार्यवाही की जा सके।

29. छात्र-छात्राओं को बीमारी संबंधी अवकाश की नीति को लचीला बनाया जाय और ऐसे आवेदन पर उन्हें घर में रहने की अनुमति दी जाय।

30. अधिकतम उपस्थिति के लिए पुरस्कार/मानदेय को हतोत्साहित किया जाय।

31. शैक्षणिक कैलेन्डर को सभी कक्षाओं से संबंधित परीक्षा के लिए योजनाबद्ध किया जाय।

32. सभी छात्र छात्राओं के माता पिता एवं अभिभावकों से उनके स्वास्थ्य संबंधी स्थिति/अद्यतन यात्रा(अंतर्राज्यीय/अन्तर्राष्ट्रीय) से संबंधित स्वघोषणा पत्र लिया जाय।

33. नगर क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विद्यालयों एवं आसपास के क्षेत्र में नियमित स्वास्थ्य एवं सफाई की पर्यवेक्षण की व्यवस्था नगर विकास विभाग द्वारा तथा ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विद्यालयों एवं आसपास के क्षेत्र में नियमित स्वास्थ्य एवं सफाई की व्यवस्था की पंचायती राज विभाग से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित की जाय।

34. पर्यावरणीय सफाई प्रक्रिया का पालन करते हुए अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण पेयजल एवं जल निकास का समुचित प्रबन्धन किया जायेगा ।

35. सामान्यत छुये जाने वाले तल यथा- दरवाजे की कुंडी, कैशबोर्ड, डस्टर, बेंच-डेस्क आदि की निरंतर सफाई एवं सेनीटाईजेशन कराया जाय।

36. सभी शिक्षण अधिगम सामग्री का भी सेनेटाईजेशन किया जाय।

37. कचरे के निस्तारण हेतु प्रत्येक कक्षा के बाहर एक डस्टबिन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। डस्टबिन पूरी तरह ढका होना चाहिए एवं उचित जगह पर रखा जाय।

38. हाथ सफाई के स्थल पर साबुन एव साफ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।

39. मूत्रालय एवं शौचालय की विद्यालय खुलने से पूर्व, इण्टरवेल के बाद तथा विद्यालय की छुट्टी होने के उपरान्त सफाई एवं विसंकमित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

40. साफ पीने का पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही विद्यार्थियों को घर से पानी की बोतल लाने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

41. सभी विद्यार्थी एवं विद्यालय के शिक्षक एवं कर्मी जो कार्य पर आयेंगे उन्हें नियमित रूप से मास्क पहनने का निदेश दिया जायेगा।

42. बच्चों को परस्पर एक दूसरे का मास्क अदला-बदली नहीं करने का निर्देश दिया जायेगा।

43. सभी बच्चों को नाक, आंख, कान, मुह आदि छूने से बचने एवं कफ सर्दी, बुखार आदि में बारे जानकारी प्रत्येक दिवस प्रार्थना सभा में दी जायेगी। छात्रों, शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को यत्र-तत्र थूकने से प्रतिबंधित किया जायेगा।

44. सफाई कर्मी के लिए आवश्यक उपकरण यथा- ग्लब्स, फेस कवर/मास्क, हाथ धोने का साबुन की उपलब्धता सुनिश्चित किया जायेगा।

45. विद्यार्थियों द्वारा पाठ्य पुस्तको, नोटबुक, पेन, भोजन आदि एक दूसरे से साझा नहीं किये जाने के निर्देश दिये जाय।

46. बाहरी वेंडर को विद्यालय के अंदर खाद्य सामग्री की बिक्री से रोका जाय।

47. शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों एवं छात्र छात्राओं को नियमित अन्तराल पर हाथ धोने के लिए प्रेरित किया जाय।

48. विद्यालय परिवहन की बसों को प्रतिदिन दो बाद (एक बार बच्चों को लाने के पहले एक दूसरी बार स्कूल से प्रस्थान से पूर्व) सेनेटाइज किया जाय।

49. विद्यालय बस के चालक/उप चालक को सभी समय भौतिक दूरी बनाए रखने हेतु कहा जाय। यदि आवश्यक हो तो भौतिक दूरी के पालन (06 फीट दूरी) के लिए अधिक बसों को लगाया जाये।

50. बस यां विद्यालय परिवहन के साधन पर चढ़ने के समय सभी बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाय।

51. बिना मास्क के किसी को भी बस पर बैठने की अनुमति नहीं दी जाय। बस की सभी खिड़कियां खुली रहनी चाहिए।

52. विद्यार्थियों को अनावश्यक रूप से सतह छूने के बचने के लिए कहा जाना चाहिए और बस में हैण्ड सेनेटाइजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए।

53. वाहन चालक व उसके सहायक से कोविड-19 से संक्रमित न होने व स्वयं व उसके परिवार के उचित स्वस्थता संबंधी घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाय।

54. विद्यालय में एक से अधिक आगमन एवं प्रस्थान द्वार उपलब्ध हो तो आगमन एवं प्रस्थान के समय सभी द्वारों को खुला रखा जाय, जिससे सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन कराया जा सके।

55. कोविड-19 महामारी के कारण विद्यालयों मे भौतिक रूप से पठन-पाठन का संचालन नहीं होने के कारण अपेक्षित स्तर की शैक्षिक अधिगम की सम्प्राप्ति नही हो सकी है। इस हेतु आवश्यक है कि बच्चों के अधिगम स्तर का त्वरित आंकलन करते हुए उनके लिए उपचारात्मक कक्षाओं का संचालन किया जाय।

4- उपरोक्त एस0ओ0पी0 के अनुपालन कों उत्तदायित्व संस्था के प्रधानाचार्य एवं सम्वंधित जिला विद्यालय निरीक्षक का होगा। सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, आवासीय विद्यालयों में उक्त एस0ओ0पी0 के अनुपालन के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट सम्वन्धित संयुक्त शिक्षा निदेशक के माध्यमिक से शिक्षा निदेशक(मा0) को उपलब्ध करायेंगे।

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाया।

भवदीया,

21.08.2021

(आराधना शुक्ला)
अपर मुख्य सचिव।